तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.06.2025	वकील सायलान एवं गैरसायलान उपस्थित। वकील गैरसायलान ने प्रार्थना पत्र का जबाब ना देते हुए प्रार्थना की है कि सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई वकील सायलान का कथन है कि गैरसायलान बिना बंटवारा कराये विवादित आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करना चाहते है। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे। गैरसायलान की ओर से उनके वकील ने कथन किया कि सायलान गैरसायल के कब्जे काश्त में दखलदांजी करते है, इसलिए उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा एक दूसरे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है। पक्षकारों के मध्य अनावश्यक वाद ना बढ़े इसलिए उभयपक्ष को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायालय उचित समझती है। अतः आदेश है, कि प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सायलान स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर दिनांक 29.11.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। उपखण्डाधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुख्यालय [illegible]पुर (राज0)	